

भूमिका

जब आइएएस डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा बस्तर कलेक्टर थे, घास-फूस की झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। यह उनकी आदिवासी समाज के बीच उपस्थिति का बेजोड़ मिसाल थी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई प्रशासक इस तरह समाज के बीच अपनी पैठ बनाये। वस्तुतः वे संचार के लिये जन सामान्य से जुड़ाव को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे।

इस शोध अध्ययन में इसी तथ्य को विश्लेषित करने का अकिंचन प्रयास किया गया है। इसी तथ्य की पुष्टि बार-बार इस अध्ययन के बीच आता रहा है। वस्तुतः बस्तर और वहां के आदिवासी समाज के लिये जीवन जीने वाले डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा जीते जी किवदंती से कम नहीं रहे। डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा का जीवन संघर्ष जहाँ भारतीय समाज की आंतरिक शक्ति का अहसास कराता है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीमाएं रेखांकित भी करता है। उनकी 'गाँव गणराज्य' की अवधारणा न आदिवासियों की झोपड़ी का नाम है न ही किसी हठी व्यक्ति का दंभ है। वह उपनिवेशवादी हमले से जर्जर समाज की चेतना जगाने का आंदोलन है और नव साम्राज्यवादी आक्रमण को विफल करने की लंबी तैयारी भी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त डॉ.शर्मा दिल्ली के एक गाँव नंगली रजापुर में एक छोटे से मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे में किताबों के बीच टेबल लैंप जलाए चटाई पर लेटे थे रहकर आदिवासी समाज के लिये एक कंबल बिछाए और दूसरा ओढ़े डॉ.शर्मा मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए किसी कानून की विवेचना करते रहे थे।

नंगली रजापुर के इस किराए के मकान से डॉ.शर्मा को विशेष लगाव था। यहाँ उन्हें लोगों से खुलकर मिलने और शांति से काम करने का मौका मिलता था। उनके छोटे बेटे ग्वालियर में खेती करते हैं और पत्नी उन्हीं के साथ रहती है। लेकिन बड़े बेटे अजय शर्मा तो दिल्ली में ही इंजीनियर हैं और नोएडा में उनकी कोठी है। उन्होंने पिताजी के लिए एक कमरे में कंप्यूटर लगाकर ठहरने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पर डॉ. शर्मा ठहरते थे नंगली रजापुर के इसी कमरे में ही। (अगर टेलीफोन को सुविधा माना जाए तो यहाँ वही एक विशेष वस्तु दिखती थी।) दरअसल यही उनकी सहयोग की

अवधारणा का 'पुस्तक कुटीर' है और उनके आदिवासी स्वाशासन के लिए राष्ट्रीय मोर्चा' भारत जन आंदोलन' का कार्यालय भी। इससे पहले वे राजधानी के नांगलोई इलाके के और भी सुविधाजीन कमरे में रहते थे। पर सरदार सरोवर परियोजना पर रपट तैयार करने के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधि ब्रेडफोर्ड मोर्स और थामस वहाँ तीन दिनों तक रुके।

डॉ.शर्मा ने बस्तर के मावली भांठा गाँव में तो बिलकुल फूस का कुटीर बना रखा था। दरअसल यह पूर्व आई, ए, एस अधिकारी व शिक्षक सत्ता के ऊँचे प्रतिष्ठानों को झकझोर कर झोपड़ियों में विश्वास करने की प्राचीन भारतीय परंपरा निभाता रहा है। जब वे चाणक्य के इस आयाम की प्रशंसा करते थे तो बात और भी स्पष्ट हो जाती थी। बस्तर के कलेक्टर के रूप में उनके कामों ने प्रशासकों के सामने नए आदर्श उपस्थित किए तो उन्हें चुनौती और संघर्ष के मार्ग पर ठेल दिया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के रूप में उनकी 28वीं और 29वीं रपट ने देश की सही तस्वीर सबके सामने रख दी। इन रपटों ने न सिर्फ कई आदिवासी और क्षेत्रीय आंदोलनों को ताकत दी बल्कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी इस रपट से काफी बल मिला। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सकारात्मकता समूचे देश में फैली।

इस अध्ययन में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि प्रसिद्ध विधिशास्त्री प्रोफेसर उपेंद्र बख्सी ने 28वीं रपट को संविधान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा था। इस रपट में भारतीय समाज को वर्गीकृत करने वाली तीन श्रेणियाँ 'इंडिया', 'भारत', और 'हिंदुस्तान' सामाजिक कार्यकर्ताओं और विश्लेषकों की जबान पर चढ़ गईं। बाद में उन्होंने भारत को बड़का और लुहरा भारत नाम की दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया। व्यवस्था में उन्हें आखिरकार निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने 28 वीं रपट में स्थिति सुधारने के लिए कई सुझाव दिए थे। लेकिन उसी के साथ उन्हें लग गया कि इस व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने 29वीं रपट में कोई सुझाव देना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल वे नौकरशाही को लोकसेवा का आंदोलन बनाना चाहते थे। इसलिए वे सफल होते हुए भी 'असफल' हो गए। न वे अपने को आदर्श अफसर कहलाना पसंद करते थे और न ही शिक्षक। वे इन दोनों खँचों को तोड़ चुके थे।

सत्ता से द्वंद्वात्मक रिश्ता रखने वाले डॉ.शर्मा कहते थे कि उनके मन में शुरू से राज्य की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहते हैं। आखिरकार 1982 में उन्होंने समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन तभी इंदिरा गांधी ने उन्हें नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाने का प्रस्ताव रखा। वहाँ उग्र छात्र आंदोलन के दौरान कुलपति की हत्या हो चुकी थी। इसलिए यह काम चुनौतीपूर्ण था।

लेकिन इस प्रस्ताव को सहज स्वीकारते हुए डॉ.शर्मा ने इंदिरा गांधी के सामने एक शर्त रखी, “न मैं आप से किसी तरह की मदद मांगूंगा और न ही आप मेरे काम में दखल करेंगी। ”इंदिरा गांधी ने हँसते हुए कहा, “यह भी कोई कहने की बात है। ” डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा अपने और देश व समाज के अतीत से जुड़ने और उसके एक हिस्से को छोड़ने की कोशिश में लगे रहे। विचारधारा के स्तर पर वे उपनिवेशवादी अतीत से मुक्त होकर पूर्व आधुनिक समाज की तरफ भागते रहे और निजी स्तर पर एक अफसर से सामान्य आदमी बनने की वर्ग अवतरण की कोशिश करते रहे। खदर का कुर्ता-धोती और चप्पल पहने और बढ़ती दाढ़ी से बेपरवाह डॉ.शर्मा ग्रामीण और आदिवासी जीवन की लोककथाओं और प्रतीकों के माध्यम से इतने सरल और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते थे कि यकीन नहीं होता कि यह आदमी पढ़ा लिखा होगा। उनका यह खांटीपन उन्हें गणित से लेकर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र सभी के अद्भुत सरलीकरण की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन उनका दूसरा पक्ष अंग्रेजी बोलने और गणित और अर्थशास्त्र के कठिन सिद्धांतों पर विमर्श करने का है। जिससे ऊब कर कई बार सामान्य कार्यकर्ता को कहना पड़ता है ‘हिंदी में बोलिए। ’

डॉ. शर्मा की नजरों में गाँव गणराज्य न तो मिट्टी के घर घरोंदे हैं और न ही टिट्टिभ दंभा यह टूटते समाज को जोड़ने के साधन थे और साम्राज्यवादी पूँजी के प्रचंड प्रवाह को रोकने की चट्टानें। वे उन्हीं के भरोसे ग्लोबीकरण को रोकने की कोशिश करते रहे। गाँव गणराज्य के ही बूते पर डॉ.शर्मा पातालकोट में पैर जमाकर दिल्ली, मुंबई और न्यूयार्क के मुँह पर मुट्टी तान रहे थे। क्योंकि उनका मानना था कि आदिवासी समाज अभी तक हारा नहीं है और वही साम्राज्यवाद का असली मुकाबला कर सकेगा। उनके इसी कार्यक्रम के आधार पर बस्तर, निमाड़ और झारखंड के आदिवासी संगठित हो रहे थे। इसी आदिवासी समाज की ताकत पर खड़ा हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर की ऊँचाई, डूबने वाले क्षेत्र और विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या के बारे में आँकड़ों की लंबी फेहसित के बीच डॉ.ब्रह्मदेव शर्मा की आदिवासी दृष्टि और प्रिंट मीडिया .

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सामने यह तर्क काफी भारी पड़ा था कि क्या इस देश के नागरिक की इजाजत के बिना उसके घर में घुसा जा सकता है या उसे निकाला जा सकता है? यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके घर कच्ची मिट्टी और फूस के बने हैं।

अपने को किसी तरह का 'वादी' घोषित करने से परहेज करने वाले डॉ.शर्माकभी वेरियर एल्विन और अन्य आईसीएस व आईएस अधिकारियों की तरह आदिवासियों के पृथक अस्तित्व के हिमायती दिखाई पड़ते थे। तो कभी शोषण और असमानता के विरुद्ध किसान, मजदूर और सर्वहारा वर्ग का आह्वान करते हुए प्रचंड मार्क्सवादी। लेकिन गौर से देखने पर लगता कि वे आशीष नंदी, पार्थो चटर्जी, सुदीप्तो कविराज और सब आल्टर्न समाज विश्लेषकों की तरह समुदायवादी चिंतक व आंदोलनकारी थे। क्योंकि वे उन्हीं की तरह पूर्व आधुनिक समाज में प्रामाणिकता भारतीयता और टूटते समाज को बचाने की शक्ति तलाशते रहे।

ब्रह्मदेव शर्मा ने ईमानदारी, देशप्रेम और कर्मठता की प्रेरणा बचपन में पाई और बस्तर में कलेक्टर रहते हुए उन्हें आदिवासी समाज से विशेष लगाव हो गया। इस तरह एक 'ब्राह्मण' आदिवासी बन बैठा। बस्तर के कलेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा। संभवतः वहाँ के बाद उनको अपने अफसर होने और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस होने पर अविश्वास हो गया। सन 1968 से 71 तक वे वहाँ कलेक्टर रहे। इस दौरान एक तरफ विकासवाद से उनका विश्वास डिगा तो दूसरी तरफ वहाँ के आदिवासियों में नए तरह का विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने वहाँ आदिवासी लड़कियों को झाँसा देने वालों को शादी करने के लिए मजबूर कर पूरे देश में सनसनी फैला दी। शराब के ठेकों को बंद होने की हालत पर ला दिया। शादियों का मामला तो किंवदंती बन गया था। पर वे किंवदंगी को तथ्य से अलग करते हुए बताते हैं, "देखिए बस्तर में ही हमें आदिवासियों के लिए काम करने और उनके बारे में सोचने की प्रेरणा मिली। क्योंकि वहीं सबसे पहले आदिवासी जीवन को नजदीक से देखा और समझा। बस्तर के बाद उन्होंने भारत सरकार की आदिवासी परियोजना पर छह साल (1972-78) तक काम किया। वह योजना आज भी चल रही है। इस तरह वे अपनी विशिष्ट कार्यशैली की छाप हर जगह छोड़ते रहे और नई चुनौतियों का सामना करते रहे। नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी को काबू में लाने के लिए उन्होंने सुरक्षा बलों का सहारा नहीं लिया। जबकि हिंदी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कई

आईएएस कुलपति परिसर को छावनी बना देते हैं। लेकिन निर्भय और निष्पक्ष शासन करने का उसका आग्रह उन्हें राज्य तंत्र से टकराने को बाध्य करता रहा। बात 1980 की है वे मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास सचिव थे। उसी दौरान विश्व बैंक ने बस्तर चीड़ परियोजना मंजूर की। इसके लिए विश्व बैंक से 20 अरब रुपए से ज्यादा ऋण मिलना था।

चीड़ के पेड़ लगाने के लिए साल के पेड़ काटे जाने थे। नतीजतन साल के फूल, पत्ते, जड़ों और लकड़ियों पर निर्भर आदिवासी अर्थव्यवस्था नष्ट होती थी। उन्होंने इस परियोजना की मंजूरी में पूरा अडंगा लगाया। परियोजना रद्द हो गई। विश्व बैंक समर्थित एक बहुराष्ट्रीय परियोजना के खिलाफ यह उनकी पहली जीत थी। वे मानते थे कि देश में न गरीबी है न बेरोजगारी। यहाँ सिर्फ शोषण और असमानता है। अपने इस सैद्धांतिक निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए ही वे साढ़े तीन सौ पेज की 'द वेब आफ पावर्टी' नामक पुस्तक में बौद्धिक विमर्श की ऊँचाई तक ले जाते हैं। उनका यह सिद्धांत संगठित और असंगठित क्षेत्र के फर्क पर आधारित है। जो फर्क देश आजाद होने के बाद एक और चार का था वह अब एक और दस का हो चला है। यानी स्वर्ग और नरक का अंतर हो गया है।

डॉ. शर्मा ने शराब के आर्थिक दुष्प्रभाव के बारे में 1969 में 'मद्यनिषेध और देश का आर्थिक विकास शीर्षक से एक किताब लिखी है। इसका निष्कर्ष यह है कि कम आमदनी वाले परिवारों में शराब पर अधिक खर्च होता है। इस तरह यह आर्थिक साम्राज्यवाद का आखिरी हथियार है। आदिवासी समाज को अविकसित की बजाय पूर्व विकसित और वहाँ आधुनिक शिक्षा की विशेष जरूरत न मानने वाले ब्रह्मदेव शर्मा ने व्यवस्था में बुनियादी बदलाव के लिए सात सूत्र प्रतिपादित किए हैं-

1. इंसान की इज्जत सबसे आगे।
2. हमारे गाँव में हमारा राज।
3. किसान की मेहनत का मोल कुशल कारीगर से कम नहीं।
4. उद्योगों पर समाज की मालिकी।

5. परिवार की रक्षा बाजार के फंदे को काटकर।
6. विदेशी कर्जों को नहीं मानने की घोषणा।
7. सभी बच्चों के लिए समान और अनिवार्य शिक्षा।

इसी बुनियादी बदलाव के लिए उन्होंने भारत जन आंदोलन का गठन किया। कभी मेधा पाटकर इसकी सचिव थीं। पर वे अब इसमें नहीं हैं। निमाड़ के इलाके में सक्रिय आदिवासी मुक्ति संगठन और खेडूत मजदूर संगठन भारत जन आंदोलन के घटक रहे हैं। इन संगठनों के बूते पर ही नर्मदा बचाओ आंदोलन खड़ा हुआ था। भारत जन आंदोलन से डॉ. विनयन, जार्ज मोनोपल्ली और मोरा मुंडा जैसे नेता इस आंदोलन से जुड़े हैं। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रपट के आधार पर पास हुआ आदिवासी स्वशासन कानून इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। यह कानून 23 दिसंबर 1997 तक देश के सभी राज्यों में लागू हो जाना था। जिन राज्यों ने लागू नहीं किया या इस कानून के अनुरूप अपने कानून में संशोधन नहीं किया वहाँ यह अपने आप लागू हो गया।

भारत जन आंदोलन 'गाँव गणराज्य' की स्थापना के उपलक्ष्य में गाँवों में 'जय स्तम्भ' लगवा रहा था। क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे इससे ग्लोबीकरण की आंधी और साम्राज्यवादी शोषण को रोक लेंगे। पर उनके इस दावे पर यकीन करने वालों की संख्या कितनी है ? उनके पास विचार और संकल्प के बावजूद क्या समाज को सहमत करने और अपने साथ लाने की क्षमता है? इस तरह डॉ. शर्मा ने बस्तर के जनसमाज के लिये बहुत क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया।

इस शोध कार्य को 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। जिसमें पहले अध्याय में **प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि** है जिसमें सारांश , साहित्यिक का सर्वेक्षण, शोध प्रणाली , उद्देश्य एवं क्षेत्र, उपकल्पना, शोध का महत्त्व, शोध विषय की मौलिकता, अध्यायीकरण को शामिल किया गया है।

इसी तरह दूसरे अध्याय में **छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज** है, जिसके अंतर्गत आदिवासी छत्तीसगढ़ का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मज का विकासक्रम, छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों

का अध्ययन, बस्तर में आदिवासी, बस्तर में आदिवासियों की स्थिति का विश्लेषण, बस्तर में आदिवासी समाज का इतिहास, बस्तर में आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और संस्कृतिकरण और मध्य भारत के आदिवासी: समस्याएँ और सम्भावनाये तलाशी गयी है।

तीसरे अध्याय में **आदिवासी और पत्रकारिता**, पत्रकारिता में आदिवासी, बस्तर आदिवासी क्षेत्र की पत्रकारिता, इतिहास, उपलब्धियाँ, कमियाँ, आदिवासी क्षेत्र की पत्रकारिता और आदिवासी पर विवेचन किया गया है।

इसी तरह अध्याय चार में डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा की आदिवासी समाज के बीच उपस्थिति, डॉ. शर्मा का जीवन परिचय, डॉ. शर्मा और आदिवासी समुदाय तहत आदिवासी इलाको में आदिवासी अव्वान के लिये डॉ. शर्मा शर्मा का संघर्ष का विवेचन किया गया है।

शोध के तहत अध्याय पांच में डॉ. शर्मा की दृष्टी : कार्यों का सामाजिक, राजनैतिक प्रभाव का आंकलन, सामाजिक दृष्टिकोण, आदि की चर्चा की गयी है।

अंत में निष्कर्ष एवं सुझाव, टिप्पणी पर विस्तार से चर्चा की गयी है। इसी भाग में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के साथ परिशिष्ट संलग्न है।